रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 26 सितम्बर, 2000/4 आश्विन, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 सितम्बर, 2000

संख्या एम0 पी0 पी0-ए0 (4)-4/75-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) नियम, 1975 है।

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तब कि कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) "अधिनियम" से, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 अभिप्रेत है ;

(ख) "शुल्क" से, अधिनियम की धारा 3 के अधीन संदेय विद्युत शुल्क अभिप्रत है ;

2055-राजपत्र/2000-26-9-2000—1,392. (3159) मूल्य : एक रुपया।

(ग) "विद्युत निरीक्षक" से, हिमाचल प्रदेश सरकार का विद्युत निरीक्षक अभिप्रेत है ;
(घ) "सरकारी खजाना" से, सरकार का खजाना या उप-खजाना अभिप्रेत है ;
(ङ) "उपाबन्ध" से, इन नियमों के उपाबन्ध अभिप्रेत हैं ;
(च) "मीटर" से, ऊर्जा मापने के लिए उपयोग किया गया साधित्र या यंत्र अभिप्रेत है ;
(छ) "सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
(ज) "धारा" से, अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
(झ) अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं, और यदि अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तद्धीन बनाए गए नियमों और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियमों और नियमों में उनके हैं।

3. **स्वयं अपने उपयोग हेतु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा.**—(1) स्वयं अपने उपयोग या उपभोग हेतु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर विद्युत निरीक्षक को, अपने द्वारा स्थापित उत्पादन संयन्त्रों के लिखित रूप में ब्यौरे देते हुए स्वयं को ऐसा करने वाला घोषित करेगा, ऐसा करने में असफल रहने पर वह अधिनियम की धारा 10 में उपबन्धित शास्तियों का दायी होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसे परीक्षण के लिए अपेक्षित फीस का संदाय करने के पश्चात्, उसके द्वारा उत्पादित और उपयोग या उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा को पृथकतः रिकार्ड करने के लिए, विद्युत निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से परीक्षित मीटर स्थापित करेगा।

(3) उप-नियम (2) के अधीन स्थापित मीटर इस प्रकार रखा जाएगा ताकि भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अधीन विहित परिसीमाओं के भीतर सही उपभोग रिकार्ड करे।

(4) उप-नियम (2) के अधीन स्थापित मीटर, अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् मुहरबन्द किया जा सकेगा और मुहर जब लगाई जा चुकी हो, तो निरीक्षण अधिकारी से भिन्न व्यक्ति द्वारा तोड़ी नहीं जाएगी।

(5) मीटर का स्वामी, उप-नियम (4) के अधीन लगाई गई मुहर की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

4. **मीटरों की अशुद्धि के परिणामस्वरूप समायोजन.**—(i) जहां किसी उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर गलत या निष्क्रिय हो जाता है तो शुल्क, उस अवधि के लिए, जिसमें मीटर गलत या निष्क्रिय रहता है, ऊर्जा की मात्रा पर अवधारित होगा, जिसके लिए उपभोक्ता को उक्त अवधि के लिए बोर्ड द्वारा बिल दिया जाता है।

(ii) जहां स्वयं अपने उपयोग या उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्ति के परिसर पर स्थापित किया गया मीटर गलत या निष्क्रिय हो जाता है, तो ऐसी अवधि के लिए, जिसमें मीटर गलत या निष्क्रिय रहता है, उपयोग या उपभुक्त ऊर्जा का परिमाण शुल्क के प्रयोजन के लिए, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन बनाए गए भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अनुसार, विद्युत निरीक्षक द्वारा अवधारित किया जाएगा।

5. **शुल्क का संग्रहण और संदाय.**—(1) बोर्ड द्वारा किसी उपभोक्ता को प्रदाय की गई ऊर्जा पर अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क, प्रदत्त ऊर्जा के लिए मासिक बिलों

के साथ बोर्ड द्वारा संगृहीत किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष, अर्धवार्षिक अर्थात अप्रैल तथा अक्तूबर में, सरकारी खजाना, उप-खजाना या अनुसूचित भारतीय बैंक में निक्षिप्त किया जाएगा।

(2) बोर्ड--

(क) ऐसे शुल्क को सरकारी खजाना में "043—विद्युत के उपभोग और विक्रय पर विद्युत करों पर शुल्क पर कर" शीर्ष के अधीन निक्षिप्त करेगा।

(ख) खजाना चालान की दूसरी प्रति हिमाचल प्रदेश सरकार के विद्युत निरीक्षक को भेजेगा :

परन्तु यदि, किसी उपभोक्ता द्वारा, ऊर्जा के उपभोग के विषय में उससे अधिक शुल्क संदत्त किया गया है, जितना अधिनियम के अधीन संदेय है, तो बोर्ड, अधिक शुल्क का, सम्बन्धित उपभोक्ता को, पश्चात्वर्ती बिल या बिलों में समायोजन द्वारा अथवा जहां उपभोक्ता प्रदाय लेना छोड़ देता है तो नकद संदाय द्वारा, प्रतिदाय संदत्त करने के लिए प्राधिकृत करेगा :

परन्तु, समय के अभाव में, यदि बोर्ड, अधिनियम के परिवर्तन से ठीक पश्चात् शुल्क की रकम बिल में सम्मिलित करने में असमर्थ है, तो यह आगामी बिल में ऐसा कर सकेगा।

6. **अवसूलीय शुल्क**.--जहां कोई शुल्क, इसे वसूल करने के सतर्क तथा तत्परतापूर्वक प्रयत्नों के पश्चात भी, पूर्णतः या भागतः अवसूलीय पाया जाता है, तो इसे सरकार द्वारा अपलिखित किया जा सकेगा।

7. **लेखा बहियां रखना**.--अधिनियम की धारा 5 के अधीन व्यौरेवार बहियों/सूचना के अलावा, बोर्ड या स्वयं अपने उपयोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा, प्रत्येक उपभोक्ता के लिए, निम्नलिखित विशिष्टियां भी रखी जाएंगी:--

(i) सेवा योजन संख्या।
(ii) उस परिसर का पता और संक्षिप्त विवरण जिसको ऊर्जा प्रदाय की जाती है।
(iii) योजन की तारीख।
(iv) प्रभारित विद्युत शुल्क के ब्यौरे और रकम।
(v) विद्युत शुल्क का खजाना में निक्षेप की तारीख।
(vi) नियम 3 और नियम 5 के अनुसार अपलिखित अथवा समायोजित शुल्क का ब्यौरा।
(vii) जहां आवश्यक हो, वियोजन की तारीख।

8. **विवरणी प्रस्तुत करना**.--बोर्ड और स्वयं अपने उपयोग या उपभोग के लिए ऊर्जा का उत्पादन करने वाला व्यक्ति, क्रमशः 1 और 2 उपबन्धों के अनुसार प्रारूप में मई तथा नवम्बर के अन्तिम दिन तक, दो प्रतियों में विवरण, विद्युत निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण अधिकारी, वित्त वर्षों की समाप्ति के तीन मास के भीतर सरकार को उपाबन्ध 3 में दो प्रतियों में विवरणी प्रस्तुत करेगा।

9. **लेखा बहियों का निरीक्षण**.--अधिनियम की धारा 6 के अधीन विद्युत निरीक्षक, निरीक्षण अधिकारी होगा जो, किसी भी समय, बोर्ड या उसके कब्जे या नियंत्रण में रखी ऐसी बहियां और अभिलेख, जो अधिनियम

के अधीन उद्ग्रहणीय विद्युत शुल्क की रकम अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिए आवश्यक हों, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

10. **परिसरों का निरीक्षण**.––निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, निरीक्षण अधिकारी, किसी परिसर में जिनमें बोर्ड द्वारा ऊर्जा का प्रदाय किया जाता है या किए जाने का विश्वास है अथवा व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने उपयोग के लिए उत्पादित की जाती है, प्रवेश कर सकेगा,––

(i) उस द्वारा रखी गई लेखा बहियों और प्रस्तुत की गई विवरणियों में दिए गए विवरणों को सत्यापित करने ;

(ii) मीटरों के पठन की पड़ताल ; और

(iii) विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के सम्बन्ध में अपेक्षित विशिष्टियों को सत्यापित करने ।

11. **बोर्ड और उपभोक्ता के बीच विवाद**.––शुल्क के संदाय या उससे छूट के लिए उपभोक्ता के दायित्व के बारे में, बोर्ड और उपभोक्ता के बीच, विवाद की दशा में, विद्युत निरीक्षक विषय का विनिश्चय करेगा । विद्युत निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य सरकार के सचिव, बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत को होगी ।

12. **शास्ति**.––इन नियमों में से किसी का भंग, एक हजार रुपये से अधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

13. **अभियोजन**.––अधिनियम और इन नियमों के किसी उपाबन्ध के उल्लंघन के लिए, कोई अभियोजन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार अथवा निरीक्षण अधिकारी की प्रेरणा के सिवाए, नहीं होगा ।––

आदेश द्वारा,

आशा स्वरूप,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

उपाबन्ध-1

उपभोक्ताओं को विक्रीत ऊर्जा के बारे में निर्धारित और वसूल किए गए विद्युत शुल्क के ब्यौरों को दर्शित करने हुए विवरण ..... मास के लिए .....

उप मण्डल/उप-कार्यालय का नाम

क्रम सं0	उपभोक्ताओं का वर्ग	मास के दौरान निर्धारित शुल्क	पहले का अतिशेष
1	2	3	4

कुल (स्तम्भ 3 और 4)	वसूल किया गया शुल्क	अग्रनीत अतिशेष
5	6	7

खजाना में जमा की गई रकम		टिप्पणियां
खजाना चालान संख्या	रकम	
8	9	10

उपाबन्ध-2

निर्धारित शुल्क तथा स्वयं अपने उपयोग या उपभोग हेतु ऊर्जा का उत्पादन करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित और संदत्त शुल्क के ब्यौरों को दर्शित करते हुए विवरण

(नियम 8 देखें)

..... मास ..... के लिए

नाम और पता .....

मीटर पठन		उपयुक्त इकाईयों की संख्या	निर्धारित शुल्क की रकम	अग्रनीत शुल्क का अतिशेष
पुरानी	नई			
1		2	3	4
		रुपये	रुपये	रुपये

कुल	संदत्त शुल्क की रकम	अतिशेष	टिप्पणियां
5	6	7	8
रुपये	रुपये	रुपये	

उपाबन्ध–3

निर्धारित और वसूल किए गए शुल्क के ब्यौरों का दर्शित करने वाले विवरण

(नियम 8 देखें)

निरीक्षण अधिकारी .....

द्वारा संदेय शुल्क	निर्धारित शुल्क	अग्रनीत अतिशेष	कुल
1	2	3	4
	रुपये	रुपये	रुपये

वसूल की गई रकम	अतिशेष	टिप्पणियां
5	6	7
रुपये	रुपये	

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित